**झारखण्ड सरकार**
**जल संसाधन विभाग।**

सं०सं०–8/ज० सं०(नि०)राँची–05/2013:– /राँची, दिनांक–

## संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री आनंदी प्रसाद सिंह ने जबकि वे मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री आनंदी प्रसाद सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता(याँ०) के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम–43 **'बी'** के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री आनन्दी प्रसाद सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री आर॰एस॰तिग्गा, अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक अंचल, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव पर सचिव/उप मुख्य मंत्री (जल संसाधन मंत्री)/ मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ:–श्री आर॰एस॰तिग्गा, अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) अंचल, राँची / श्री आनंदी प्रसाद सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता (याँ०) जल संसाधन विभाग, राँची। संप्रति श्री आनंदी प्रसाद सिंह तदेन मुख्य अभियंता (याँ०) (संप्रति सेवानिवृत) झारखंड राज्य आवास बोर्ड कॉलोनी, पो॰+थाना+जिला–हजारीबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(शेखर कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि:–अनुबंध की प्रति के साथ–श्री आर॰ एस॰ तिग्गा, अभियंता प्रमुख–II / अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक, अंचल, राँची / श्री आनन्दी प्रसाद सिंह, तत्कालीन मुख्य अभियंता (याँ०) जल संसाधन विभाग, राँची संप्रति–सेवानिवृत मुख्य अभियंता (याँ०) झारखंड राज्य आवास बोर्ड कॉलोनी, पो॰+थाना+जिला–हजारीबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें। साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

**अनुलग्नक:–यथावत्**।

ह0/–
(शेखर कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:– 1906 /राँची, दिनांक:– 3-3-14

प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव (प्रबंधन) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शेखर कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।